

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम
की घोषणा।

127-सरदारपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा
के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण
में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री अशोक गहलोत

दड़ो का बास महामन्दिर, जोधपुर

जो, इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक्
रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान जोधपुर

दिनांक 03-12-2023

५१

(संजय कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा-127 एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय), जोधपुर

(संजय कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी

वि. सभा क्षेत्र सरदारपुरा (127) जोधपुर

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **127-SARDARPURA** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—


Sh. ASHOK GEHLOT

DARON KA BAS MAHAMANDIR, JODHPUR

sponsored by **Indian National Congress** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place JODHPUR

Dated 03-12-2023


(Sanjay Kumar)
Returning Officer
127-SARDARPURA Assembly
Constituency &
Additional Collector &
Additional District Magistrate
(II), Jodhpur